भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 238
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

यूसीसी के कार्यान्वयन हेतु सुझाव

238. श्री रवनीत सिंह :

श्री ए. गणेशमूर्ति :

श्री ए. राजा :

श्री राकेश सिंह :

श्री सु. थिरूनवुक्करासर :

एडवोकेट डीन कुरियाकोस :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के बाईसवें कानून आयोग ने हाल ही में आम जनता, धार्मिक संगठनों और अल्पसंख्यक समुदायों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श शुरू किया है और देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन के लिए उनसे सुझाव मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब तक प्राप्त सुझाव अपर्याप्त हैं और व्यापक प्रचार की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का यूसीसी का अधिक प्रचार करने और सुझावों के लिए समय-सीमा बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन और विस्तार के लिए निर्धारित समय-सीमा, यदि कोई प्रस्तावित हो, का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का यूसीसीस के मुद्दे पर विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा उठाई गई शिकायतों/आपत्तियों का अध्ययन करने के लिए एक आयोग गठित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों को आश्वासन दिया है कि सभी राजनीतिक दलों के बीच व्यापक सहमति के बाद यूसीसी लाया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (च) : भारत के 21वें विधि आयोग ने 31.08.2018 को "परिवार विधि के सुधार" पर एक परामर्श पत्र जारी किया था, तथापि कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई है । चूकि उक्त परामर्श पत्र के जारी होने की तारीख से चार वर्ष से अधिक बीत चुके हैं, तारीख 14.06.2023 को 22वें विधि आयोग ने विषय वस्तु की सुसंगतता और महत्व तथा एक सामान सिविल संहिता के विषय पर विभिन्न न्यायालयों के आदेश को भी ध्यान मे रखते हुए अधिकत्तर लोगों और धार्मिक संगठनों के विचारों और अवलोकनों की मांग करने का निर्णय लिया है । आयोग ने संबंधित पणधारियों के विचारों और सुझावों को भेजने के लिए समय-सीमा को दो हफ्ते अर्थात् 28 जुलाई, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय किया है ।

****